भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 775 #

गुरूवार, 5 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देना

775 # श्री अमर पाल मौर्य:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री जग्गेश:
श्री सुभाष बराला:
श्रीमती रेखा शर्मा:
डा. दिनेश शर्मा:
श्रीमती किरण चौधरी:
श्री शंभू शरण पटेल:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय सहित पर्यटकों की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने के लिए किए गए प्रमुख उपाय क्या हैं;

(ख) डिजिटल पर्यटन सेवाओं, एकीकृत प्लेटफार्मों और प्रौद्योगिकी-सक्षम आगंतुक सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए यात्रा को सुगमता और वहनीयता में सुधार लाने हेतु नीतिगत या नियामक हस्तक्षेप सहित कौन-कौन से सुधार किए गए हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इन उपायों के पर्यटक आवागमन, संतुष्टि और समग्र क्षेत्रीय विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत अनिवार्य रूप से राज्य का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष इस मामले को लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।

पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और हिफाजत-युक्त बनाने के लिए अपने निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त

कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत में यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के तहत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा एवं हिफाजत में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन की आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से, महिलाओं एवं बच्चों दोनों को शोषण से मुक्ति, सुरक्षा एवं सम्मान जैसे मुलभूत अधिकारों के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

पर्यटन मंत्रालय ने अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदायगी को ध्यान में रखते हुए, आवास इकाइयों के वर्गीकरण और पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान करने से संबंधित आवेदन प्राप्ति, कार्रवाई आदि की एक ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। आतिथ्य उद्योग के राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि+) के पोर्टल अर्थात nidhi.tourism.gov.in पर आवेदन किए जा सकते है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे के साथ भी जोड़ा गया है।

पर्यटन स्थल के विकास के लिए प्रभावी और पर्याप्त संपर्कता एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यटन मंत्रालय महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और अधिक संभावना वाले अल्पज्ञात/नए गंतव्यों के लिए हवाई संपर्क में सुधार के लिए नागर विमानन मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसने नागर विमानन मंत्रालय के साथ उनकी क्षेत्रीय संपर्कता योजना (आरसीएस-उड़ान) के तहत समन्वय किया है और इस उद्देश्य के लिए चिह्नित किए गए 53 पर्यटन मार्गों के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) की राशि साझा की है।

वर्तमान में ई-वीजा की चौदह उप-श्रेणियां, (अर्थात ई-पर्यटक वीजा, ई-बिजनेस वीजा, ई-मेडिकल वीजा, ई-कॉन्फ्रेंस वीजा, ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा, ई-आयुष वीजा, ई-आयुष अटेंडेंट वीजा, ई-स्टूडेंट वीजा, ई-स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा, ई-ट्रांजिट वीजा, ई-माउंटेनियरिंग वीजा, ई-फिल्म वीजा, ई-एंट्री वीजा और ई-प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वीजा) हैं। ई-वीजा योजना अब 175 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ई-वीजा 38 नामित हवाई अड्डों, 16 नामित समुद्री बंदरगाहों और 02 भूमि बंदरगाहों के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है।

मंत्रालय ने पर्यटकों के आगमन, संतुष्टि या समग्र क्षेत्रीय विकास पर इन उपायों के प्रभाव का पृथक रूप से आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रभाव संबंधी अध्ययन नहीं किया है।

*****